ारम संख्या 562

# ालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर- सरिया, गिरिडीह

## आदेश पत्रक

कुन्ती देवी ..........................प्रथम पक्ष

बनाम दौलत साव व०अ० ..........................द्वितीय पक्ष

पक्ष

देखे अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129

आदेश पत्रक ता० ..........................से ..........................तक

जिला गिरिडीह।

विविध वाद संख्या ..........142..........सन् 2021

धारा 144 द०प्र०स०

| आदेश की क्र० सं० और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कारवाई के बारे गें टिप्पणी तारीख सहित |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | आवेदिका कुंती देवी पति सुरेश राम, साकिन–गुडीटॉड, थाना–बिरनी, जिला– गिरिडीह द्वारा दं०प्र०सं० की धारा 144 के अंतर्गत विवादित भूमि मौजा– मनिहारी, खाता नं०–22/5, प्लॉट नं०–862/5, रकवा–01 एकड़, चौहद्दीः उ०–परती, द०–प्लॉट नं०–837, पू०–सीमाना मौजा मंझिलाडीह, प०–परती कदीम में भू–विवाद के कारण निषेधाज्ञा लागू करने हेतु आवेदन दिया गया है। प्राप्त आवेदन पर जॉच/मंतव्य अंचल अधिकारी/थाना प्रभारी, बिरनी से मांगे।<br><br>अनुमण्डल दण्डाधिकारी<br>बगोदर–सरिया | |

| ा की क्र० सं० और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | अभिलेख उपस्थापित। ~~थाना प्रभारी~~/अंचल अधिकारी बिरनी के ज्ञापांक सं0 749 दिनांक 26.11.2022 के द्वारा समर्पित किया गया जॉच प्रतिवेदन के अवलोकन के बाद मैं संतुष्ट हूँ कि भूमि विवाद को लेकर उभय पक्षों में शांति भंग होने की आशंका है एवं टकराव के लिए तत्पर हैं। इस बात से मैं संतुष्ट हूँ कि इस मामले में टकराव को दूर करने तथा इलाके में शांति बनाये रखने के लिए निरोधात्मक कार्रवाई आवश्यक है।<br>इन तथ्यों के आलोक में उभय पक्षों के विरूद्ध धारा 144 द0प्र0सं0 के अंतर्गत कार्यवाई प्रारंभ किया जाता है तथा उभय पक्षों को 60 दिनों के लिए विवादग्रस्त भूमि पर या उसके नजदीक जाने अथवा किसी भी तरह का कार्य करने के लिए प्रतिबंधित किया जाता है तथा रोका जाता है। साथ ही उभय पक्षों से दिनांक 22/12/22 को कारणपृच्छा की मांग की जाती है कि क्यों नहीं एक या दोनों पक्षों के विरूद्ध निरोधात्मक आदेश को सम्पूष्ट किया जाय।<br>अभिलेख दिनांक 22/12/22 को उपस्थापित करें।<br>लेखापित एवं संशोधित।<br><br>अनुमण्डल दण्डाधिकारी बगोदर-सरिया     अनुमण्डल दण्डाधिकारी बगोदर-सरिया | |

| श की क्र० सं० और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 22/12/22 | अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित। अभिलेख दिनांक - 05-01-2023 को रखें। | |
| 05/1/23 | प्रथम पक्ष वकालतनामा हाजिर। द्वितीय पक्ष उपस्थित। अभिलेख दिनांक - 19-01-2023 को रखें। | |
| 19/1/23 | प्रथम पक्ष वकालतनामा हाजिर। द्वितीय पक्ष उपस्थित। पुकार के समय प्रथम पक्ष अनुपस्थित। द्वितीय पक्ष के द्वारा S/C एवं फर्द सबूत के साथ दस्तावेज दाखिल किया गया है। बहस हेतु दिनांक 2/2/23 को रखें। 19/1/23 | |
| 2/2/23 | उभय पक्ष वकालतनामा हाजिर। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना। आदेश हेतु दिनांक 3/2/23 को रखें। | |

| पंजी क्र० सं० और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 3/2/23 | आदेश हेतु अभिलेख उपस्थापित।<br>प्रश्नगत वाद प्रथम पक्ष के आवेदन के आलोक में प्रारम्भ किया गया। प्रथम पक्ष के अनुसार उनके पूर्वज को प्रश्नगत भूमि सरकारी बन्दोबस्ती के माध्यम से हासिल है, जिसका विवरण निम्नवत है:-<br>ग्राम - मनोहारी, थाना सं० - 23<br>खाता - 22/5, प्लाट - 862/5<br>रकबा - 1 एकड़<br>चौहद्दी — उ० - परती, द०- प्लॉट सं० - 837, पू० - सीमाना मौजा - मंझौलाडीह, प० - परती कदीम<br>द्वितीय पक्ष उक्त भूमि पर जबरन ईंट, बालू जमा कर निर्माण कार्य करना चाहते हैं।<br>प्रथम पक्ष अपने दावे के समर्थन में बन्दोबस्ती पर्चा की छाया प्रति, वर्ष 2009-10 का लगान रसीद की छाया प्रति एवं ऑनलाईन पंजी-II की प्रति दाखिल किया गया है।<br>द्वितीय पक्ष के द्वारा लिखित एवं मौखिक रूप से अपना पक्ष रखा गया। | |

| आदेश की क्र० सं० और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | द्वितीय पक्ष के अनुसार उन्हें प्रतानागत भूमि बजरिये हुकुमनामा से हासिल है। जमीन हासिल के बाद पंजी-II पर 1961-62 से 1975-76 तक 1 एकड़ 78 डी. जमीन का रसीद निर्गत है तथा 1977-78 से सम्मिलात 15 एकड़ 65 डी. जमीन का रसीद निर्गत है। 1945 से अब तक द्वितीय पक्ष का शांतिपूर्वक दखल-कब्जा एवं जोत आबाद है। प्लाट सं. 862 के इर्द गिर्द द्वितीय पक्ष का ही रैयती खतियानी प्लाट सं० 858, 863, 941, 942 अवस्थित है। प्रथम पक्ष द्वारा अंकित चौहद्दी विवादित भूखंड से लगभग ½ कि० मी० दूर की है। स्पष्टतया प्रथम पक्ष की जमीन की स्थिति स्पष्ट नहीं है तथा उनकी जमीन पर दावा कर रहे हैं। साथ ही प्रथम पक्ष के सदस्य उस मौजा विशेष के निवासी नहीं हैं, अतः उनका पर्चा भी संदेहास्पद है।<br><br>द्वितीय पक्ष अपने दावा के सम्बन्ध (समर्थन) में सादा हुकमनामा की छाया प्रति, लगान रसीद की छाया प्रति, ऑनलाइन पंजी-II की छायाप्रति दाखिल किया गया है। | |

| श की क्र० सं० और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | अंचल अधिकारी, बिरनी का प्रतिवेदन प्राप्त है। प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नागत भूमि गैरमजरूआ खास खाते की है तथा प्रथम पक्ष को सरकारी बन्दोबस्ती से प्राप्त है। उभय पक्ष के बीच जमीन के दखल-कब्जे को लेकर विवाद है।<br><br>बहस के द्वारा द्वितीय पक्ष सर्वे नक्शा को प्रस्तुत करते हुये बताया गया कि उभय पक्ष की सर जमीन पर अलग-अलग भूमि है।<br><br>उभय पक्ष के द्वारा दाखिल दस्तावेजों से स्पष्ट है कि प्रथम पक्ष द्वारा दाखिल पर्चा में अंकित चौहद्दी एवं सर्वे नक्शा में कोई समानता नहीं है। प्रथम पक्ष के द्वारा चौहद्दी में द० - प्लाट 837 दर्शाया गया है जबकि सर्वे नक्शा के अनुसार प्लाट 837 के उत्तर में ~~8339~~, 839, 840 एवं 836 प्लाट है जो रैयती खाते की है। इसी प्रकार पू० में मंगलाडीह सीमाना दिखाया गया है जो वर्णित चौहद्दी के अंतर्गत की भूमि | |

| (आदेश) की क्र० सं० और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | को नहीं दर्शाता है। इस प्रकार या तो पर्चा फर्जी है या टेबल पर बैठ कर तैयार किया हुआ प्रतीत होता है जिसका सरजमीन की स्थिति से कोई साम्यता नहीं है।<br><br>उक्त वर्णित तथ्यों एवं विवेचन के आलोक में नियमन को प्रथम पक्ष के विरुद्ध निरपेक्ष घोषित करता हूँ तथा द्वितीय पक्ष के हित में रिक्त घोषित करता हूँ।<br><br>उक्त आदेश द. प्र. सं. की धारा 144(4) के अंतर्गत परिचालित होगा।<br><br>साथ ही अंचल अधिकारी बिरनी को आदेश दिया जाता है कि स्वयं पर्चे की सत्यता की जाँच करें तथा सरजमीन की स्थिति की भी समीक्षा करें।<br><br>आदेश से सम्बन्धित पक्षकारों को अवगत करावें।<br><br>3/2/23<br>SDM | |

Digitally signed by KUNDAN KUMAR
Date: 2023.02.07 13:39:42 +05:30
Location: 192.168.1.4